प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 19.11.2024**

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 395/24 धारा 308(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल सैमसंग बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.11.2024 को थाना खेकडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र राजपाल सिंह निवासी बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वादिया के पुत्र नवनीत का नाम मुकदमें से निकलवाने के नाम पर 12 लाख रुपये की मांग की तथा चार लाख रुपये ले लिये तथा डराकर 8 लाख रुपये की और मांग कर रहा है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 395/24 धारा 308(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 395/24 धारा 308(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल सैमसंग बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

योगेन्द्र पुत्र राजपाल सिंह निवासी वरधा ज्योति कालौनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल सैमसंग।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा, बागपत

2.है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा, बागपत

3.का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा, बागपत

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर दिनाँक 19.11.2024

थाना चांदीनगर में लावारिस में दाखिल कुल 14 वाहनों की नीलामी के सम्बन्ध में-

कार्यवाही

दिनाँक 19.11.2024 को मा0 न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना चांदीनगर पर वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक के लावारिस वाहनो की नीलामी श्रीमान नायब तहसीलदार खेकड़ा, श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय खेकड़ा व थानाध्यक्ष थाना चांदीनगर की उपस्थिति में की गई। उक्त नीलामी मे जनपद बागपत व आस पास के जनपदो के कुल 33 कबाडियो ने हिस्सा लिया। जिसमें कुल 14 चार पहिया व दो पहिया वाहनो की नीलामी की गई।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक-19.11.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 793/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित हत्यारोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 फावडा (आलाकत्ल) किया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.11.2024 को थाना बडौत पर वादी रूपेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि वादी के छोटे भाई हरेन्द्र का वादी के पिता कृष्णपाल से बटवारे को लेकर विवाद चल रहा था पूर्व मे हम लोगो ने अपने भाई को काफी समझाया परन्तु वह वादी के पिता जी की बात मानने को तैयार नही हुआ कल दिनांक 17/11/24 को वादी के पिता खेत पर गेहू में पानी लगाने गये थे जहां पर पहले से वादी का छोटा भाई हरेन्द्र मौजुद था वादी के छोटे भाई ने पानी लगाने से मना किया, किसी बात पर हरेन्द्र ने वादी के पिता कृष्णपाल के सिर मे फावडा मारकर उसकी हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 793/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 793/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 फावडा (आलाकत्ल) बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- हरेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक फावडा (आलाकत्ल)।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम दो भाई है, मेरे बडे भाई का नाम रूपेन्द्र है। मेरे पिता कृष्णापाल के नाम करीब 27 बीघा जमीन है। जिसमे से 9 बीघा जमीन मुझे दे रखी है तथा 18 बीघा जमीन रूपेन्द्र को दे रखी है जिसकी देख रेख मेरे पिता ही करते थे। मेरे पिता ने करीब 20-25 बर्ष पूर्व एक प्लाट लोनी मे खरीदा था जिसमे हम दोनो भाईये का हिस्सा था परन्तु मेरे पिता ने वह प्लाट रूपेन्द्र के नाम कर दिया। हमारी खेती की सारी जमीन भी अभी पिताजी के नाम है करीब 7-8 माह पूर्व पिताजी ने खेती की जमीन पर 10 लाख रूपये का लोन लेकर सारा पैसा रूपेन्द्र को दे दिया था और मुझे कुछ नही देते थे। दिनांक 17.11.24 को मै खेत मे पानी चला रहा था तभी पिताजी खेत पर आकर मेरे साथ गाली-गलौच करने लगे थे मुझे गुस्सा आ गया था मैने उनको जान से मारने की नियत से अपने हाथ मे लिये फावडे से उनके सर पर बार कर दिया जिससे उनकी मृत्यू हो गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-SHO श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
2-निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
3-उ0नि0 श्री अनुप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
5-है0का0 306 राजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
6-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
7-है0का0 629 भारत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस